रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2000/ज्येष्ठ 3, 1922
No. 294] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2000/JYAISTHA 3, 1922

GOVERNMENT OF INDIA

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2000

सा.का.नि. 488(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963(1963 का 38) की धारा 2 के खण्ड (थ) के साथ पठित भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार,जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 90, तारीख 8 जनवरी , 1979 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियमों के प्रयोजनो के लिए, मुरगांव पत्तन की सीमाएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात् : -

क. मुरगांव क्षेत्र

उत्तर में : अक्षांश 15°27'30"उ० के समानान्तर तट पर एक बिन्दु से उसी समानान्तर रेखा के साथ ठीक पश्चिम में देशान्तर 73°37'30"पू० में एक बिन्दु तक ।

पश्चिम में :- दक्षिण-पूर्व दिशा में अक्षांश 15°27'30"उ० और देशान्तर 73°37'30"प० में एक स्थान से अक्षांश 15°20'उ० देशान्तर 73°39'30"पू० की स्थिति तक ।

दक्षिण मे :- ठीक पूर्व में अक्षांश 15°20'उ० देशान्तर 73°39'30"पू० की स्थिति से अक्षांश 15°20'उ० के समानान्तर उस बिन्दु तक जहां यह समानान्तर रेखा तट से मिलती है ।

पूर्व में :- आगाकायम-कोर्टालिम फैरी (इसमें फैरी तथा अवतरण स्थान शामिल नहीं है) के पश्चिम में जुआरी नदी का संपूर्ण जल क्षेत्र ।

ख. वेतुल क्षेत्र

उत्तर में :- अक्षांश 15°12' उ० के समानान्तर तट पर एक बिन्दु से ठीक पश्चिम में जहां समानान्तर रेखा 10 फैदम रेखा से मिलती है ।

पश्चिम में : 10 फैदम लाईन ।

दक्षिण में - अक्षांश 15°5' उ० के समानान्तर तट पर एक बिन्दु से ठीक पश्चिम में जहां 10 फैदम लाईन से समानान्तर रेखा मिलती है ।

उपर्युक्त सीमाओं में सभी व्हार्फ और निजी सम्पत्ति के किन्ही अधिकारों के अध्यधीन जलयानों के यातायात की सुविधा अथवा पत्तन और इसके पहुंच मार्गों के सुधार, रख-रखाव अथवा उत्तम प्रबंधन के लिए सरकार की ओर से निर्मित अन्य कार्य चाहे वे उच्च ज्वारांक के भीतर हों अथवा बाहर और उच्च ज्वारांक के पचास गज के भीतर तट अथवा किनारे का प्रत्येक भाग शामित है ।

[फा. सं. पी आर-23018/2/95-पी जी]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2000

G.S.R. 488(E).— In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), read with clause (q) of section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), GSR No.90, dated 8th January, 1979, the Central Government thereby declares that, the extent of the limits of the Port of Mormugao, for the purpose of the said Acts, shall be as follows, namely:-

A - MORMUGAO AREA

On the North - From a point on the coast in the parallel of latitude 15° 27'30" N. due West along the same parallel point in longitude 73° 37'30" E.

On the West - From the position in latitude 15° 27'30" N. and longitude 73° 37'30" E. in South East direction to position in latitude 15° 20'N. longitude 73° 39'30" E.

On the South - From the position in latitude 15° 20' N. longitude 73° 39'30" E. due East along the parallel of latitude 15° 20'N. to a point where this parallel meets the coast.

On the East - All the waters of the River Zuari, West of Agacaim - Cortalim Ferry (Excluding the ferry and the landing stages).

B - BETUL AREA

On the North - From a point on the coast in the parallel of latitude 15° 12'N. due West to where the parallel meets the ten fathom line.

On the West - The ten fathom line.

On the South - From a point on the coast in the parallel of latitude 15° 5'N. due West to where the parallel meets the ten fathom line.

The above mentioned limits shall include all wharves and other works made on behalf of the public for convenience for traffic of vessels, or for the improvement, maintenance or good government of the Port and its approaches whether within or without high-water mark and, subject to any rights of private property therein, any portion of the shore or bank within fifty yards of high water mark.

[F. No. PR-23018/2/95-PG]
K.V. RAO, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054